*अभिभाषण* - **अशोक गहलोत,** *मुख्यमंत्री, राजस्थान*
49 वीं राष्ट्रीय विकास परिषद् बैठक, 1 सितम्बर, 2001, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीगण, केन्द्रीय मंत्रीगण एवं दोस्तों !

मुझे राष्ट्रीय विकास परिषद् की इस बैठक में भाग लेते हुए हर्ष हो रहा है । इस बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना ( 2002-2007) के प्रस्तावित दृष्टिकोण-पत्र, प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत राशि के आवंटन के मापदंडों पर बनी राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट के संबंध में स्थिति, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के हस्तातरण के संबंध में उप समिति की रिपोर्ट के संबंध में स्थिति, उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जा रहा है ।

2. राजस्थान लगातार तीन वर्षो से अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है । राहत कार्यों पर 2000 करोड़ रूपये से अधिक का व्यय हुआ । अनेक कठिनाइयों के बावजूद राहत कार्यों का प्रबंधन इस प्रकार किया गया, जिसकी सभी ने प्रंशसा की है । श्रीमान्, इस संबंध में, मैं आपका ध्यान 17 मार्च को रावतभाटा भ्रमण के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों की आप द्वारा सराहना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

3. श्रीमान महत्वाकांक्षी नवीं पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाना अप्रत्याशित आपदाओं के चलते एक कठिन कार्य रहा है । पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर राज्य को 6000 करोड़ रूपये का असहनीय भार झेलना पड़ा है । पोकरण विस्फोट के अनुसरण में लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रमों में 4500 करोड़ रूपये से अधिक की कमी आई है । इस प्रकार संसाधनों में निरंतर गिरावट के चलते नवीं पंचवर्षीय योजना के 27 हजार 650 करोड़ रूपये के आकार के मुकाबले करीब 12,500 करोड़ रूपये कम प्राप्त हुए हैं जो कि योजना के आकार का लगभग आधा है । इसके बावजूद राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने एवं खर्च कम करने के प्रभावी उपाय कर इस घाटे को कम करते हुए नवीं योजना का आकार करीब 20,000 करोड़ रूपये तक बनाये रखने में कामयाबी हासिल की है ।

4. यद्यपि महत्वाकांक्षा मूल योजना के आकार के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं फिर भी हमारी सरकार ने गत दो वर्ष 9 माह में निम्नलिखित सुधार तथा नवाचार लागू कर एक ठोस शुरूआत की है :-

- जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, जनसंख्या, महिला एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विस्तृत नीतियॉ बनाई गई ।
- जल संसाधन योजना बेसिन आधार पर तैयार की गई ।
- बहुमूल्य एवं सीमित प्राकृतिक जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से □ जल संसाधन दृष्टिकोण- 2045ᣵ तैयार किया गया ।
- सुदूर संवेदन प्रणाली से पूरे राज्य में जल संग्रहण इकाइयों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया गया ।
- सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबन्धन को लागू करने के लिए □राजस्थान कृषक सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में भागीदारीᣵ कानून पारित किया गया ।

- तहसील स्तर तक जल संग्रहण इकाइयों के निर्माण की कार्यकारी योजना को अंतिम रूप दिया गया ।
- 1 जून, 2000 से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार अधिनियम, 1999 प्रभावी, जिसके तहत राज्य विद्युत मंडल का पांच कम्पनियों में विभाजन किया गया । सौभाग्य से राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जहां राज्य विद्युत बोर्ड का एक साथ पुनर्गठन किया गया ।
- अनुज्ञा एवं दर निर्धारण के अधिकार सहित स्वतंत्र विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई ।
- वैकल्पिक स्त्रोतों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया ।
- एशियन विकास बैंक के सहयोग से राज्य के छह प्रमुख शहरों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास की 1529 करोड़ रूपये की एक परियोजना प्रारम्भ की गई ।
- शहरी गरीबी एवं बेरोजगारी से मुकाबले के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना का अक्टूबर, 1999 में शुभारम्भ किया गया । इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने के लिए कियोस्क (गुमटी) निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया ।
- आधारभूत ढांचा विकास तथा अन्य आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों पर विशेषज्ञ सलाह के लिए आर्थिक विकास बोर्ड " की स्थापना की गई ।
- विनियोजकों के माध्यम से पूंजी विनियोजन बढ़ाने के लिए एकल खिड़की योजना का शुभारंभ किया गया ।
- सीतापुरा(जयपुर) में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तथा अर्थ स्टेशन का विकास किया गया ।
- राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं विनियोजन को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के बाहर एवं विदेशों में रहने वाले अप्रवासी राजस्थानियों का सितम्बर, 2000 में अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया गया । इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना की गई ।
- सड़क क्षेत्र में बी.ओ.टी. प्रणाली के आधार पर निजी निवेश को आकर्षित किया गया ।
- राज्य संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में व्यवसाय एवं टर्न ओवर टैक्स लागू किया गया ।
- विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना लागू की गई ।
- राज्य में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गई जिसमें प्रत्येक विधायक को विकास कार्यो के लिए 60 लाख रूपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के लिये राज्य ने प्रति वर्ष 120 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विचारणीय विस्तार किया गया । वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं निराश्रितों को पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तक 2.20 लाख के मुकाबले वर्ष 2000-2001 में 6.40 लाख को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2001-2002 में यह संख्या 8 लाख तक पहुंचने की संभावना है । यही नहीं, पेंशन की दरों में भी वृद्धि की गई । वृद्धावस्था पेंशन 100 रूपये तथा विधवाओं एवं विकलांगों की पेंशन 125 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये प्रतिमाह की गई । इस मद में 1997 के बजट प्रावधान 22.67 करोड़ रूपये के मुकाबले वर्ष 2001-2002 में 196 करोड़

रूपये का बजठ प्रावधान किया गया । बार-बार निवेदन करने के पश्चात् भी केन्द्र सरकार द्वारा आनुपातिक सहायता नहीं दी गई ।

- राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये उच्च प्राथमिकता दे रही है । राज्य में समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करने हेतु कई नये कार्यक्रम चलाये गये हैं । इस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारी एवं विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत निगमों के पक्ष में राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के 9 करोड़ रूपये के स्तर से वर्ष 2000-2001 में 47 करोड़ रूपये की सहायता हेतु राज्य गारन्टी प्रदान की है ।

- राजकीय अस्पतालों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । इन व्यक्तियों को " मेडिकेयर रिलीफ कार्ड " उपलब्ध कराये गये हैं । राज्य में कुल 23.5 लाख मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारी हैं जो निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं ।

- कैंसर, हृदय रोग अथवा गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए " मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष" की स्थापना की गई है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रबंध किये गये । इनके सक्रिय समर्थन और गैर-सरकारी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी से राज्य के सभी 32 जिलों में साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा को भारी गति प्राप्त हुई है ।

5. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान शुरू से ही पिछड़े राज्यों में शुमार रहा है । हमारी समस्या की शुरूआत इस तथ्य से ही नहीं होती कि हम स्वतंत्रता के समय से अलाभकारी स्थिति में थे लेकिन आधारभूत ढांचे की कमी, लगातार अकाल तथा राज्य के विस्तृत भू भाग में फैले मरूस्थल के कारण अन्य राज्यों के साथ हम विकास की गति को बनाये रखने में समर्थ नहीं हो सके । इसके साथ ही लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा ने भी हमारी समस्याओं में बढ़ोतरी की है । इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वालों में राजस्थान शामिल है । दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी कोशिश सतर्क आशवाद, संकट से उबरने का विश्वास तथा भावी चुनौतियों से मुकाबले का निश्चय के रूप में सामने आयेंगी।

**एजेण्डा आइटम संख्या 1:**

**दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण -पत्र का मसौदा**

6. दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित दृष्टिकोण-पत्र में संसाधन आधारित योजना के स्थान पर सुधार योजना, निजी क्षेत्र से विनियोजन आकर्षित करने के लिए नीति बनाना तथा सामाजिक क्षेत्र के सुधार एवं मजबूत बनाने के लिए सरकारी प्रयास पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

7. परम्परागत रूप से प्रति व्यक्ति आय के स्तर को लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं विकास की दर वृद्धि का आधार मानते हुए प्रति व्यक्ति आय तथा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता रहा है । दृष्टिकोण-पत्र में योजना अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.6 प्रतिशत वार्षिक का अनुमान लगाते

हुए प्रति व्यक्ति आय को अगले दस वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है । इस स्थिति में वर्तमान व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में प्रभावी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

8. दृष्टिकोण-पत्र में दसवीं योजना के दौरान मानव विकास सूचकों के तहत विशेष तथा समय पर पूरे होने वाले लक्ष्य तय करने पर जोर दिया गया है । आठ प्रतिशत की वृद्धि दर के प्रस्तावित लक्ष्य के अतिरिक्त मॉनिटरेबल लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा ।

9. दृष्टिकोण-पत्र में मानव विकास के प्रमुख मानकों के तहत दिये गये लक्ष्यों को समयबद्ध रूप में प्राप्त करने का उल्लेख है । प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में एकरूपता के साथ ये लक्ष्य प्राप्त हों, इसके लिए रणनीति बनानी होगी । यदि हम इन प्रमुख मापदंडों में एक साथ आगे नहीं बढ़े तो लक्ष्यों से पिछड़ने के साथ वर्तमान में जो असंतुलन बना हुआ है वह जारी ही नहीं रहेगा अपितु इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है । हम सभी इससे सहमत हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन में बढ़ोतरी राष्ट्रीय हित में नहीं है । ऐसे में जरूरी है कि दृष्टिकोण-पत्र में ज्यादा खुलापन हो तथा इन क्षेत्रों में समस्याग्रस्त राज्यों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किये जायें ।

10. दृष्टिकोण पत्र में सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन का उल्लेख है । संतुलित विकास सुनिश्चित करने कके लिए दसवीं योजना में विकास दर तथा सामाजिक विकास के राज्यवार विस्तृत विकास के लक्ष्य शामिल किये गये हैं । राज्यों के विशेष लक्ष्य तय करते समय प्रत्येक राज्य की संभावानाओं तथा समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । दृष्टिकोण-पत्र में इस तथ्य को शामिल किये जाने की आवश्यकता है1

11. यद्यपि विकास गरीबी कम करने का मजबूत एवं सीधा प्रभावी प्रयास है लेकिन राज्यों की अर्थव्यवस्था के मामले में भेदभाव तथा कठोरता के चलते इस प्रक्रिया को कम प्रभावी बना रखा है । ऐसे में दसवीं योजना के दौरान समानता और मजबूत न्याय को बनाये रखना जरूरी है । दृष्टिकोण-पत्र में कृषि विकास को प्रमुख आधार माना गया है । ऐसे क्षेत्रों को जिनमें रोजगार सृजन की संभावानाएं हैं, के त्वरित विकास को द्वितीय प्राथमिकता दी गई है ।

12. राज्य सरकार इस मत की है कि अकेले कृषि क्षेत्र को प्रमुख आधार बनाने से विकास की कल्पना का सही चित्र उभर कर नहीं आयेगा और विकास का उद्देश्य विफल हो जायेगा । कृषि विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समानान्तर रूप से सिंचाई, ऊर्जा, वानिकी तथा उद्योगों ( कृषि सम्बद्ध एवं कृषि आधारित ) का विकास नहीं होगा । इसलिए दसवीं योजना में विकास के प्रमुख आधार के रूप में कृषि के साथ सिंचाई, ऊर्जा, वानिकी और कृषि सम्बद्ध एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी शामिल किया जाए । इसके अलावा राजस्थान जैसे पानी के कमी वाले राज्य में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी एक प्राथमिकता है । इसलिए राजस्थान में जलापूर्ति को प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जाये ।

13. जहॉ आठ प्रतिशत की वृद्धि दर महत्वाकांक्षी है, यह समझना चाहिये कि विशेषकर राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में पांचवें वेतन आयोग और पोकरण विस्फोट से बाह्य सहायता में भारी कटौती के दोहरे भार से राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक भार पड़ा है । इस पृष्ठभूमि में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए राजस्व वृद्धि तथा साथ ही व्यय पर नियंत्रण दोनों ही क्षेत्रों में वर्तमान में किये जा

रहे प्रयासों को और तेज करना होगा । दृष्टिकोण-पत्र के प्रारूप के सुझावों के अनुसार ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के अनुदानों में कटौती और समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की वसूली का उत्तरदायित्व केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तान्तरित किया जाता है तो राज्य के लिये इस असहनीय अधिक भार को वहन करना सम्भव नहीं है । इसलिये केन्द्र के लिये इस विकल्प के अतिरिक्त कि वह अनुदानों को जारी रखे और राज्य को इस व्यय भार से मुक्त करे, अन्य विकल्प नहीं है । ऐसा होने पर ही अपेक्षित वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो सकेगा ।

14. दृष्टिकोण-पत्र के प्रारूप में दसवीं योजना के वित्तीय संसाधनों को जुटाने और अन्य उपायों का उल्लेख है । हालांकि इस अध्ययन में जिन बिन्दुओं पर विचार किया गया है वे मुख्यतः दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से संबंधित हैं परन्तु कुछ मुद्दे राज्य से भी संबंधित हैं । राज्यकर्मियों की संख्या में कटौती, उपयुक्त उपयोग प्रभार वसूल करने, अनुदानों में कमी, ब्याज भुगतान और वेतन-भत्तों आदि के अलावा सभी गैर-योजना व्यय को फ्रीज करने जैसे मामलों को वृहद् परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । इन सभी उपायों को अकेले ही लागू करना किसी भी राज्य सरकार के लिये संभव नहीं होगा । इन सभी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है जैसाकि दृष्टिकोण-पत्र में सही तरह से दर्शाया गया है । इसके लिये इन उपायों के माध्यम से गहरे अनुसंधान, जन जाग्रति, जन शिक्षा और व्यय नियंत्रण हेतु लगे रहने की आवश्यकतता है । इसलिए एक राष्ट्रीय सहमति व नीति बनाने हेतु इन मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिये ।

15. यह उल्लेखनीय है कि राज्यों के पास परिस्म्पत्तियों की मरम्मत और संधारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं होते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में नवें व दसवें वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इन दोनों आयोगों ने सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार रख-रखाव के व्यय का अनुमान लगाते समय यह अनुभव किया कि इसके लिये अपेक्षित स्तर की धनराशि प्रावधित नहीं की गई । इन वित्त आयोगों ने इस प्रकार सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर आवश्यकता से कम धन राशि का प्रावधान किया है । बढ़े हुए वेतन-भत्तों पर व्यय के कारण राज्य सरकारें परिसम्पत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं । राजस्थान योजना राशि के कुछ अंश को संधारण व्यय के रूप में उपयोग में लेने पर जोर दे रहा हे इसलिये दृष्टिकोण-पत्र के प्रारूप में इस सुझाव का अनुमोदन स्वागत योग्य है । अतः एक समग्र सोच, जिसमे संधारण और अभिवृद्धि दोनों कार्यक्रम सम्मिलित है, की आवश्यकता है जिससे लोग कम लागत पर विकास के अधिकतम संभव लाभ प्राप्त कर सकें ।

16. कृषि और भू-प्रबंधन के क्षेत्र में दृष्टिकोण पत्र में उर्वरक और ऊर्जा अनुदानों में कमी प्रस्तावित की है जबकि इन अनुदानों को सीमित करना और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता को सभी ओर से अनुभव किया गया है । मेरा विचार है कि सम्पूर्ण अनुदान समाप्ति का दृष्टिकोण वर्तमान व्यवस्था की तरह ही हानिकारक होगा । राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में विस्तृत सुधारों के क्षेत्र में प्रथम राज्य है परन्तु लघु और सीमान्त कृषकों के लिए खाद और ऊर्जा अनुदानों को पूर्व की भांति जारी रखने की आवश्यकता है । धनी एवं समर्थ कृषक वर्ग द्वारा अनुदान के दुरूपयोग को रोकने एवं इनके सही उपयोग के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादक के स्थान पर उपभोक्ता को इन अनुदानों का लाभ मिले । इसी प्रकार ग्वार एवं मोठ के साथ ही बागवानी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिये ताकि शुष्क क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित

किया जा सके । जलग्रहण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों के तहत देय अनुदान की इकाई लागत को व्यावहारिक स्तर पर लाना होगा अन्यथा सम्पूर्ण विनियोजन विकास के समुचित लाभ देने में बाधक बनेगा ।

17. राजस्थान के विकास में, देश के कुल भू-भाग का 10.4 प्रतिशत तथा जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत की आवश्यकता के विरूद्ध जल संसाधन की सिर्फ 1 प्रतिशत की उपलब्धता प्रमुख बाधा है । राजस्थान ने जल संसाधन विकास को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानते हुए जल संग्रहण एवं संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है किन्तु पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण हमारे प्रयासों में बाधा आई हे । दृष्टिकोण-पत्र में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की पहचान की गई है जो इस क्षेत्र में एक कारगर कदम साबित होगा लेकिन इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र से परियोजना खर्च का दो तिहाई, जिसमें प्रशासनिक व्यय अलग है, प्राप्त होता है जबकि नाबार्ड की तरफ से ऐसी परियोजना में बिना किसी सीमा के 90 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है । राजस्थान जैसे राज्य में जहां जल संसाधन विकास कार्यक्रम को केन्द्र बिन्दु बनाये जाने की जरूरत है तथा नाबार्ड की तरह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है । विकल्प के रूप में औसत जल कमी से भी अधिक वाला राज्य मानते हुये राजस्थान को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाने के लिए विशेष राज्यों की श्रेणी में रखे जाने की आवश्यकता है ।

**औद्योगिक विकास एवं श्रम नीति**

18. दृष्टिकोण पत्र में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 10 प्रतिशत रखने पर जोर दिया गया है ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । इस संदर्भ में राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उद्योग को कठिन अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि विश्व व्यापार संगठन समझौता के चलते घरेलू बाजार प्रतिबंधों से मुक्त है एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अलग अस्तित्व दसवीं योजना काल में विनिवेश प्रक्रिया के कारण धीरे-धीरे कम होगा । यही नहीं, निर्माण क्षेत्रों में उच्च पूंजी निवेश की तीव्रता की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति के उपरांत भी श्रमिकों को खपाने की क्षमता नगण्य रह गई है और सिर्फ सेवा प्रदाय क्षेत्र ही स्वाभाविक रूप से अधिक व्यक्तियों के आकर्षण का मुख्य बिन्दु बन गया है । अतः यह आवश्यकता है कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को सम्बोधित किया जाए ।

19. हमारा यह विचार है कि स्थाई औद्योगिक विकास उपलब्ध भौतिक और मानव संसाधन इन्फ्रास्ट्रक्चर के केन्द्रीय सुधार के आधार पर ही हो सकता है । इससे सिर्फ यही संकेत नहीं मिलता है कि तकनीकी शिक्षा के विकास, विशेषकर पिछड़े राज्यों में जैसे राजस्थान जो कि इस क्षेत्र में बहुत पीछे है बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए समान सुविधायें सृजित करने हेतु एक उपयुक्त सहज नीति तैयार करनी होगी ।

20. जहा तक प्रचलित श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का प्रश्न है राज्य का दृष्टिकोण है कि जो भी संशोधन हों उससे श्रमिकों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा न हो, यह देखा जाना चाहिये और इसे सभी राज्यों की सहमति के उपरान्त ही प्रभावी किया जाना चाहिए ।

21.    राजस्थान में  खनिज संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन  दृष्टिकोण-पत्र में इस क्षेत्र की मजबूती के लिए उल्लेख नहीं किया गया है । यदि राज्य की खनन सम्पदा के उपयोग के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें तो राजस्थान इस क्षेत्र के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या से मुकाबला कर सकता है । खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए आयोजना सहायता के तहत आवंटन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

**सामाजिक आधारभूत ढ़ांचा**

**शिक्षा**

22.    राज्य सरकार दृष्टिकोण-पत्र में दिये गये इस सुझाव से सहमत है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सबके लिए शिक्षा को प्रमुख लक्ष्य बनाया जाये । प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण तथा स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधार पर दसवीं योजना में सर्वाधिक ध्यान दिया जायेगा । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक अध्यापक तथा आबाद गांव की एक किलोमीटर परिधि में प्राथमिक अथवा वैकल्पिक स्कूल व्यवस्था का लक्ष्य महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । वास्तव में राजस्थान ने इस मामले में पहल करते हुए गत दो वर्षों में 17 हजार से अधिक राजीव गांधी पाठशालाएॅ खोली हैं । हम आने वाले वर्षों में ऐसी और पाठशालाएॅ खोलने के लिए कृतसंकल्प हैं । इन राजीव गांधी पाठशालाओं को खोलते समय हम इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक अध्यापक तथा प्रत्येक आबाद गावं की एक किलोमीटर परिधि में एक वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था हो । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अध्यापकों का चयन तथा इन पाठशालाओं के प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व स्थानीय पंचायतों को सौंपा गया हे ।

राज्य सरकार ने नवाचार प्रयासों के रूप में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लागू किया है । यह उल्लेखनीय है कि मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन के कुछ स्तरों द्वारा पश्चगामी प्रयास किये जा रहे हैं । इस तरह के भगवाकरण और संबंधित पश्चगामी उपायों से बचने की आवश्यकता है । इसी समय यह भी अहसास होना चाहिये कि इस क्षेत्र में जो साधन प्रदान किये जा रहे हैं वे ऋण के रूप में न होकर सहायता के रूप में होने चाहिये क्योकि सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं में परिपक्वता समय काफी अधिक होता है और इनसे जो लाभ प्रायः अर्जित होता है वह वित्तीय मानकों के आधार पर पर्याप्त रूप में नहीं होता है । सामाजिक क्षेत्र के अन्य घटकों यथा स्वास्थ्य, पोषाहार, ग्रामीण जल प्रदाय के मामलों में भी यही विचार लागू होता है । विशेषकर जैसा कि ग्रामीण जलप्रदाय के लिए पूंजीगत व्यय पर भी उपभोग शुल्क लगाने के प्रस्ताव का सुझाव दिया गया है, यह ग्रामीण गरीब वर्ग के लिए बहुत अधिक भार होगा विशेषकर राजस्थान जैसे राज्य में जहां भौतिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के कारण बिखरी हुई जनसंख्या को इस तरह की सेवाएं पहुंचाना बहुत ही कठिन एवं महंगा है ।

23.    माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के नाम से एक नई योजना की शुरूआत की है । इस योजना में ग्रामीण पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार एवं आवास को शामिल किया गया है । मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी जानकारी के

अनुसार यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित होनी चाहिये थी मगर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है । महोदय, इस सामाजिक क्षेत्र की योजना में ऋण संबंधी बात नहीं होनी चाहिये । जब यह योजना घोषित हुई तब ऐसी कोई बात नहीं थी । मैं इस सदन में यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भांति यह योजना भी पूरी तरह अनुदानित होनी चाहिये ।

**आर्थिक आघारभूत ढांचा**

24. दृष्टिकोण-पत्र में गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत के विकास पर बल देने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को शामिल किया गया है । राजस्थान ने पहले से ही विद्युत उत्पादन, वितरण एवं सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में योजनाबद्ध प्रयास शुरू किये हैं । विश्व बैंक के ऋण की सहायता से उत्पादन, प्रसारण एवं क्षेत्रीय वितरण के लिए अलग-अलग कम्पनियां बनाई गई हैं, क्षमता में वृद्धि की जा रही है और हानि में कमी हुई है । राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की है । दिसम्बर, 2003 तक एक हजार मेगावाट की वृद्धि की योजना हे । इस प्रकार पांच वर्षों में राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता में जो वृद्धि होगी वह पिछले 50 वर्षों में राज्य का गठन होने के उपरांत सृजित की गई कुल क्षमता से आधी के बराबर है ।

25. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा दोने के लिए मथानिया में 140 मेगावाट सोलर संयुक्त चक्रीय परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजनायें सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं ।

26. इस क्षेत्र में अत्यधिक पूंजीगत लागत को देखते हुए त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक राशि के आवंटन जिसमें कुल उपलब्ध संसाधन के साथ-साथ राज्यों को अधिक आवंटन की आवश्यकता है ताकि सुधार कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित कदम उठाये जा सकें ।

**रेलवे**

27. माननीय प्रधानमंत्री ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप देने हेतु आयोजित योजना आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेलवे के विकास पर जोर दिया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में रेलवे नेटवर्क अपर्याप्त है । जैसाकि हम जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में लंबी दूरी के परिवहन के साधनों के रूप में रेलवे के अलावा अन्य विकल्प नहीं है । पैट्रोलियम पदार्थों के भावों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार की बहुत अधिक आवश्यकता है । वर्तमान में 60 से 65 प्रतिशत तक वाणिज्यिक एवं 80 प्रतिशत तक यात्री यातायात सड़क परिवहन का उपयोग करता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त राशि का आवंटन किया जावे । इससे हमारे व्यवसाय की क्षमता में वृद्धि होगी और त्वरित आदान-प्रदान हो सकेगा । राजस्थान इस समय एक हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रेलवे लाइन की लम्बाई के मामले में राष्ट्रीय औसत से पीछे है । राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में यह अन्तर अधिक है । क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस अन्तर को कम करने की जरूरत है ।

**सड़क**

28. राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लम्बाई राष्ट्रीय औसत से कम है । सड़कों का घनत्व राज्य में 36 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जोकि राष्ट्रीय औसत 62 किलोमीटर का 60 प्रतिशत है । राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने एवं ग्रामीण क्षेत्र की ओर झुकाव होने के कारण सड़क, आवागमन के आधारभूत ढांचे का उपयोगी तत्व है । राजस्थान को इस क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच सके और यह आवश्यक आधारभूत सुविधा दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाली जनसख्या को उपलब्ध हो सके ।

29. दृष्टिकोण पत्र के आशय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पहले ही नाबार्ड की सहायता से राज्य में लगभग 24000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु 600 करोड़ रूपये की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है । भारत सरकार समुचित निर्देशों के द्वारा इस पहल का समर्थन करे ताकि बिना किसी विलम्ब के कार्य प्रारंभ हो सके ।

**केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**

30. राजस्थान सरकार नियंत्रक एवं महालेखाकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के संबंध में की गई टिप्पणी से सहमत है । भारत सरकासर द्वारा इस क्षेत्र में काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो अधिकतर प्रकृति में एक जैसी हैं । निम्नतम स्तर पर इन सभी योजनाओं को दिशा-निर्देश के साथ-साथ लक्षित ग्रुप की परिभाषा को याद रखना बहुत मुश्किल है । इन योजनाओं में आंशिक अन्तर के लक्षित समूहों को समझाना कठिन है । उदाहरण के लिए आवास योजना के अन्तर्गत जवाहर आवास योजना (नई) ,जवाहर आवास योजना ( क्रमोन्नत) और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में गरीबों को ऋण एवं अनुदान दिया जाता है । मगर यह सहायता योजना और क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न है । लक्षित समूह भी कुछ-कुछ अलग हैं । इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । अतः यह सुझाव है कि एक ही तरह की योजनाओं को एक साथ मिला देना चाहिये । इससे इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सकेगा । साथ ही प्रशासनिक खर्चे में भी कमी होगी ।

31. अतः भारत सरकार को यह सुविधा देनी चाहिये कि राज्य सरकारें अपनी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के मद्देनजर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को चुनें और लागू करें । राजस्थान सरकार दृष्टिकोण पत्र के इस सुझाव से सहमत है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की संख्या में कमी की जानी चाहिए और एक जैसी योजनाओं को एक साथ मिला दिया जाना चाहिये ।

32. राजस्थान सरकार यह सुझाव देती है कि इन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिये । यदि यह स्वीकार्य नहीं हो तो सभी योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के यूनीफार्म पैटर्न के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत सहायता है उन्हें छोड़कर अन्य योजनाओं में 90 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होना चाहिये ।

33. साधारणतया द्वितीय किस्त किसी भी योजना के अन्तर्गत मार्च माह में दी जाती है । यह संभव नहीं है कि यह राशि उसी माह में खर्च की जा सके । अगले वित्तीय वर्ष में 15 प्रतिशत से ज्यादा प्रारम्भ का अवशेष रहने पर भारत सरकार द्वारा राशि में कटौती कर ली जाती है । अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह की आकस्मिताओं को दूर करने के लिए समय पसर राशि स्वीकृत करनी चाहिए ।

34. पुनः कई योजनाओं में बहुत सारी निर्धारित शर्तें हैं । राजस्थान जैसे विविधता वाले राज्य में एक समान दिशानिर्देशों में दी गई इन शर्तों के कारण कभी-कभी योजना विफल हो जाती हे और मूलभूत उद्देश्य प्राप्त नहीं होता । इस स्थिति में यह जरूरी है कि राज्यों को विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में लचीलेपन का समावेश होना चाहिए ।

35. दृष्टिकोण पत्र में जलग्रहण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर दिए गए सुझावों से हम सहमत हैं । जहां तक एस.जी.एस.वाई का संबंध है यह सुझाव दिया गया है कि इसको राष्ट्रीय महिला कोष की तरह बिना अनुदान के बैंकों द्वारा चलाने के लिए सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम में रूपान्तरित किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि यह उचित होगा कि यदि इसका क्रियान्वयन कुछ चुनी हुई पंचायत समितियों पर पायलेट बेसिस पर किया जाए ।

36. माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपको ध्यान होगा कि मैंने नवम्बर, 1999 में केन्द्र सरकार से काम के बदले अनाज योजना को पुनः प्रारंभ करने के लिए कहा था । मैं आपका बहुत आभारी हूं कि भारत सरकार ने अंत में मेरे अनुरोध से सहमत होते हुए राज्य के सामने अकाल की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जनवरी, 2001 में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया । फिर भी, जुलाई के पास हमने यह महसूस किया कि यह कार्यक्रम सितम्बर के अन्त तक बन्द हो जाएगा । मुझे यह जानकर खुशी है कि स्वतंत्रता दिवस पर आपने अपने सम्बोधन में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 10,000 करोड़ रूपये लागत की "काम के बदले अनाज" आधारित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की है । इसके लिए 50 लाख टन खाद्यान्न जिसकी लागत 5,000 करोड़ रूपये है , प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा । मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना के आवश्यक दिशा-निर्देश अविलम्ब जारी किये जायें ताकि कार्यक्रम बिना किसी विलंब के क्रियान्वित किया जा सके । इस प्रसंग में यह उचित होगा कि बेरोजगारी की भयावह स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार एक रोजगार गांरटी योजना शुरू करे ताकि युवा बेरोजगार द्वारा सामना की जा रही कठिन परिस्थितयों में उन्हें लाभप्रद एवं उत्पादक रोजगार प्राप्त हो सके ।

37. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं यथा एस.जी.एस.वाई., जे.जी.एस.वाई., ई.ए.एस. एवं आई.ए.वाई. के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन में 3 वर्षों से निरन्तर गिरावट आ रही है । इन सभी योजनाओं में आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है । उदाहरण के तौर पर वर्ष 2001-2002 में ई.ए.एस. योजना के तहत कुल आवंटन 5275.44 लाख रूपये राजस्थान राज्य के लिए है जहां 1997 के सर्वे के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 20.98 लाख थी । इस प्रकार के आवंटन से बी.पी.एल. परिवार के एक सदस्य को पूरे वर्ष में ढाई दिन रोजगार प्राप्त होगा । इसलिए आवंटन में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है ।

38. राज्य के विषम स्वरूप को देखते हुए यह सही होगा कि योजना सहायता की कुछ प्रतिशत निर्बन्ध राशि के रूप में दी जाए । इस कोष का उपयोग अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए जो कि विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समय उत्पन्न होता है ।

39. इसी प्रकार इन कार्यक्रमों में समवर्ती मूल्यांकन के समावेश का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि इनके क्रियान्वयन के दौरान ही कमियों का पता लगाकर उसे दूर किया जा सके ।

**शासकीय सुधार**

40. राज्य सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है कि स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग अनुदान तथा अन्य विकासशील कोष राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए जब तक की प्रभावशाली अधिकारों का हस्तातंरण उनको नहीं हो । इसके लिए मैं सर्वोच्च सम्मानीय संस्था का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों के अलावा कुछ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की संस्थाओं का हस्तान्तरण पंचायती राज संस्थाओं को किया जा चुका है। कुछ और क्षेत्रों के हस्तान्तरण के प्रयास किए जा रहे हैं, पर इन क्षेत्रों को पंचायत तथा स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया समय लेने वाली है। इसलिए यदि यह शर्त लगाई जाती है तो कई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह शर्त दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नहीं लगाई जानी चाहिए। राज्य सरकार स्वयं पंचायती राज संस्थाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व वसूल करने की शक्तियां देने की सोच रही है।

42. जनता ने बहुत अधिक विश्वास के साथ नई सरकार को भारी बहुमत के साथ शासन लौटाया है। इसलिए नई सरकार ने पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह शासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक दूरगामी सुधार प्रारंभ किए हैं। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रणाली लागू करना तथा इन्सपैक्टर राज को समाप्त करना शामिल हैं। पुनः राज्य में प्रथम बार मानव अधिकारी, महिला और अल्पसंख्यकों के लिए आयोगों का गठन किया गया है।

43. हाल ही में राज्य सरकार ने "प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता", "जल प्रबंधनउ "जनसंख्या", " पर्यटन विकास", तथा "सामाजिक सुरक्षा", के लिए मिशन तथा "वित्तीय प्रबन्धन", "कृषि ग्रामीण विकास और कृषि श्रमिकों का कल्याण", "सूचना प्रौद्योगिकी", "पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" एवं "स्थायी विकास" के लिए पृथक-पृथक कार्यबलों का गठन किया है। मेरा सुझाव है कि शत-प्रतिशत निर्बन्ध अनुदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा इन मिशनों तथा कार्यबलों के उद्देश्य/लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी जाए।

**एजेन्डा आइटम संख्या 2:**

प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत राशि आवंटन की प्रक्रिया पर राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति की रिपोर्ट

44. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के राशि आवंटन हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की रिपोर्ट के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा राज्य गरीब ग्रामीण के चिन्हीकरण हेतु कैलोरी आधारित उपभोग की प्रक्रिया से निरन्तर सहमत नहीं है। यह गोपनीय नहीं है कि राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के लिए यह आधार विपरीत है, क्योंकि यहां मुख्य खाद्यान्न जो उपभोग में लिए जाते हैं वे मोटे अनाज हैं यथा बाजरा, ज्वार और मक्का। चूंकि ये खाद्यान्न उदाहरण के लिए गेहूं की तुलना में प्रति इकाई लागत पर अपेक्षाकृत उच्च कैलोरी क्षमता रखते हैं। राजस्थान जैसा राज्य हमेशा कैलोरी स्तर के

आधार पर गरीबी रेखा गणना में हमेशा अलाभप्रद की स्थिति में रहता है। इससे राज्यों की तुलना में जहां महंगे खाद्यान्नों का उपयोग होता है, राशि के आधार पर निम्न स्तर पर चला जाता है। इस स्थिति में हमारे पिछड़ेपन एव आर्थिक और पर्यावरणीय अलाभप्रद स्थितियों को देखते हुए, वर्ष 1993-94 में विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाए गए 3.88 प्रतिशत हिस्से का आवंटन भी कम है। जब तक इसमें वृद्धि नहीं की जाती है, यह राज्य के लिए संभव नहीं होगा कि वह आधारभूत ढांचे के साथ-साथ निरन्तर वृद्धि एवं विकास के लिए, तर्कसंगत बाजार का आधार उपलब्ध कराने के रूप में देश के अधिक विकासशील क्षेत्रों से बराबरी कर सके।

45. उप समिति ने विशेष सहायता उप क्षेत्रों को भी प्रदान करने के लिए अभिशंसा की है जो सर्वाधिक पिछडे एवं गरीबी से प्रभावित हैं। यह एक स्वागत योग्य सुझाव है और मैं सोचता हूं कि मरू विकास कार्यक्रम एवं सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के विकास खण्डों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या वाले खण्डों को 50 प्रतिशत से अधिक है, इस प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

**<u>एजेण्डा आइटम संख्या 3:</u>**

**केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के हस्तान्तरण पर राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की स्थिति रिपोर्ट**

46. राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के हस्तान्तरण पर अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

47. फिर भी हमारी यह सामान्य अवधारणा है कि राज्य सरकारों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त लचीलापन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक अपने हितों की योजनाओं को चुन सकें तथा उनका क्रियान्वयन कर सकें। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही कोष हस्तान्तरण की गणना का आधार गत वित्तीय वर्ष के वास्तविक हस्तान्तरण पर 15-20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ हो। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि यह राशि एके ही किस्त में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य के कनसोलिडेटेड फण्ड में दी जाए जिससे कि राज्य सरकारों के पास संसाधनों की उपलब्धता में इन कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीलापन रहे। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि हमारा अनुभव है कि केन्द्र प्रवर्तित योजना के अधीन कुल केन्द्रीय आवंटन का 35 से 40 प्रतिशत वर्ष के अंतिम त्रैमास में तथा 20 प्रतिशत केवल मार्च माह में ही आवंटित होता है। इससे यह परिणाम निकलता है कि लगभग 25 प्रतिशत आवंटन अगले वित्तीय वर्ष में शामिल कर लिया जाता है इसके परिणामस्वरूप अगले वित्त वर्ष की प्रथम किस्त में प्राप्त होने वाली राशि में से कटौती कर ली जाती है। इस चक्र से व्यवस्था में निरन्तर धन की कमी बनी रहने से कार्यक्रमों की क्रियान्विति धीमी हो जाती है।

48. अन्त में यह राशि शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में हस्तांरित की जानी चाहिए क्योंकि केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्यतया हमारे समाज के वंचित तबके के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित हैं और इन वर्गों के लाभ के लिए कार्यक्रमों की परिपक्वता अवधि ज्यादा होती है और बैंक ऋण के पुनर्भुगतान और लाभान्वितों की सहनशक्ति कम होती है। क्षेत्रीय विकास कायर्क्रमों में ऋण राशि के साथ एक समस्या यह भी आती है कि जब कभी लाभ होता है तो उन लोगों को मिलता है जो प्रायः

पुनर्भुगतान दायित्व में हिस्सेदारी नहीं करते । परिणामस्वरूप इस तरह के ऋण राज्य सरकार का दायित्व बन जाते है और पूर्व के उच्च ऋण भार में वृद्धि करते हैं ।

**एजेण्डा आइटम संख्या 4 :**

## उत्तरांचल को विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की सूची में लेना

49. हम उत्तरांचल को विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की सूची में शामिल करने का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं इस परिषद से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी समय राजस्थान को भी इसी श्रेण् में शामिल करने की बारम्बार मांग पर विचार करना चाहिए । 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजस्थान भी विशेष राज्य के दर्जे की सूची में शामिल होने की सभी शर्तें पूरी करता है । क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है । इसका 61 प्रतिशत से अधिक भाग मरूस्थल है । एक प्रतिकूल भौतिक वातावरण, लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा, कम एवं असामान्य वर्षा, बारम्बार अकाल तथा प्रायः जल संसाधनों की कमी ( राज्य में केवल देश के एक प्रतिशत जल संसाधन हैं) तथा बिखरी आबादी होने से सामान्य सुविधायें उपलब्ध कराने पर अधिक धनराशि खर्च होना त्वरित आर्थिक विकास के मार्ग में प्रमुख बाधायें हैं । इन समस्याओं के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर के प्रमुख मानकों के मद्देनजर राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की सूची में शामिल करना पूर्णतः न्यायोचित एवं अपरिहार्य है ।

**एजेण्डा आइटम संख्या 5 :**

## नवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

50. राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना चालू मूल्यों पर 27650.00 करोड़ रूपये निर्धारित की गई । वर्तमान संसाधन स्थिति के रहते राज्य इस योजना के आकार को प्राप्त नहीं कर सकेगा । राज्य सरकार के वर्तमान बढ़े हुए खर्चे से चालू राजस्व अवशेष ऋणत्मक हो गया हे तथा राज्य सरकार द्वारा उधार लेकर योजना को पूरा करना ही मुख्य स्त्रोत रहा है । इसके परिणामस्वरूप सरकार पर उधार का भार बढ़ा है ।

51. नवीं योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों का अनुमान जो कि योजना को अन्तिम रूप देते लगाया गया अनेक कारणों से यथार्थ रूप नहीं ले सकाः-

- पांचवें वेतन आयोग का सिफारिशों की क्रियान्विति ( इस मद पर पांच वर्ष में अनुमानतः 6 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय)
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को उनके संसाधनों के साथ हस्तान्तरण न करना ।
- दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को देय सहायता के संदर्भ में अन्तरण की वैकल्पिक योजना को स्वीकार करने के कारण केन्द्रीय करों में अपेक्षित अतिरिक्त हिस्से की अनुपलब्धता ।
- लगातार तीन अकालों के कारण राज्य सरकार को राजस्व संग्रह के अपने प्रयासों को सीमित रखना पड़ा, इस कारण अन्तिम चार वर्षों की योजनाओं के संसाधनों के अन्तर को दूर करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में कठिनाई आयी । गत तीन अकाल राहत कार्यों के दौरान 2000 करोड़ रूपये से अधिक का खर्चा हुआ ।

52. इन कठिनाइयों के बावजूद नवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के समय किये गये वायदे से ज्यादा राज्य ने संसाधन जुटाये हैं । गत तीन वर्षों के अकाल के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में सुधार हुआ है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 1998-99 के 5.41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 6.04 प्रतिशत हो गया है और वर्ष 2000-2001 में इसके 6.70 प्रतिशत होने की संभावना है ।

**सुझाव**

53. अब नवीं पंचवर्षीय योजना के केवल आखिरी छह माह शेष हैं । ऐसी स्थिति में जिन समस्याओं की मैंने चर्चा की है, उनके लिये सुधारात्मक कदम उठाने की शेष योजना अवधि में बहुत कम संभावनाएं हैं । हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन मुद्दों को समुचित रूप से दसवीं योजना में शामिल कर समग्र रूप से चर्चा करें, जिनमें निम्न मुद्दे शामिल हैं :

**1. केन्द्रीय सहायता के आंवटन के तरीके में संशोधन ( परिवर्तित गाडगिल फामूला)**

54. हमारी यह मांग रही है कि केन्द्रीय सहायता की आवंटन प्रणाली की समीक्षा की जाये । ऐतिहासिक कारणों से विभिन्न राज्यों के विकास में असमानता है । योजनागत विकास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों में उनकी जरूरत के मुताबिक निवेश की आवश्यकता है ताकि अविकसित राज्य विकसित राज्यों के समकक्ष आने में सक्षम हो सके । वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केन्द्रीय करों के अन्तरण एवं अनुदान देने के बाद भी जो राज्य राजस्व घाटे में रहते हैं, उनकी सहायता के लिए कुल योजना सहायता का कुछ हिस्सा चिन्हित कर अलग से रखा जाना चाहिए । परिवर्तित गाडगिल फार्मूले में जनसंख्या( 60प्रतिशत) को अधिक भार दिया गया है, जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के लिए ठीक है जबकि राजस्थान जैसे कराज्य को बड़ा क्षेत्रफल होने तथा प्रति इकाई सेवा पहुंचाने में ज्यादा खर्च उठाने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है ।

55. अतः अधिक विकसित राज्यों द्वारा अर्जित स्तर तक पहुंचने के लिए पिछड़े राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस फार्मूले में अधिक प्रगतिशीलता तुरंत लागू करने की जरूरत है । मेरा यह सुझाव है कि योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तरीके का पुनर्निर्धारण किया जावे जिसमें इन मुद्दों को विशेष महत्व दिया जावे जैसे क्षेत्रफल की महत्ता, सेवा प्रदान में दूरी का घटक, भौगोलिक एवं रेगिस्तान की विशेष समस्या, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति व्यक्ति योजना खर्च कम होना, राज्य के स्वयं के संसाधन जुटाने के प्रयास, न्यूनतम साख- जमा अनुपात और राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा विकास सूचकांक से दूरी आदि । इन मुद्दों को यदि ध्यान में नहीं रखा गया तो विकास की दौड़ में हम पीछे रह जायेंगे और अन्तर क्षेत्रीय भेदभाव और असन्तुलन बढ़ जायेगा । मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 10 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था को दसवीं पंचवर्षीय योजना से 50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए । इसके साथ ही 31 मार्च, 2001 को बकाया योजना सहायता ऋण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से ब्लॉक ऋण में 5 वर्ष पुनर्भुगतान स्थगन के साथ परिवर्तित किया जाना चाहिए इसके उपरान्त वर्तमान में प्रचलित बैंक दर के अनुसार ब्याज दर में भी कमी की जाये ।

## 2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु राशि का हस्तान्तरण

56. विभिन्न बाह्य ऋण आधारित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं से प्रायः न्यूनतम ब्याज दर पर राशि प्राप्त कर इस राशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 70 प्रतिशत ऋण व 30 प्रतिशत अनुदान के अनुपात से प्रदान करती है । ऋण घटक पर अभी 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है । यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी ऊंची ब्याज दर पर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं राज्यों के लिए क्यों पारित की जाती हैं । विदेशी विनिमय दर के उतार-चढाव के कारण इतनी ज्यादा ब्याज दर वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं है । यह समय की मांग है कि इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्यों के बीच पारदर्शी संवाद हो और बाह्य ऋण के बदले राज्यों से लिए जाने वाली ब्याज दर को कम किया जाये या फिर बैंक दरों के समान किया जाये क्योंकि दोनों में ऋण चुकाने का खतरा समान है । जहां तक अनुदान सहायता का संबंध है, यह उन राज्यों को सीधी ही दी जानी चाहिए क्योंकि यह उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए है जो कि ऋण के आधार पर लाभप्रद नहीं हैं ।

## 3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

57. शताब्दियों से उजाड़ पड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक विशाल प्रयास है । राज्य सरकार इसको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए प्रयत्नशील है । इसके पूर्ण होने पर मरू क्षेत्र के साथ ही सीमा क्षेत्र के निवासियों को आपत्ति के समय सहायता मिलेगी । इससे राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी, पशु जनसंख्या को आहार उपलब्ध होने के साथ ही इस क्षेत्र की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा । परियोजना मरूस्थल के विस्तार को भी रोकेगी । साथ ही पर्यावरण संरक्षण और इन क्षेत्रों के स्थाई विकास में समर्थ होगी । इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए हमें भारत सरकार से अधिक सहायता की आवश्यकता है ।

58. अब तक गैर आबाद सीमा क्षेत्रों में मानव बस्ती की वृद्धि के लिए इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है ताकि किये गये व्यय का पूर्ण लाभ लिया जा सके । पूर्व में मेरे बार-बार अनुरोध के उपरान्त भी दुर्भाग्य से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता धीरे-धीरे समाप्त कर दी है । अतः मैं गम्भीरतापूर्वक निवेदन करता हूॅ कि आप इस प्रकरण में बिना किसी विलम्ब के हस्तक्षेप करें और इस परियोजना के लिये तीन वर्ष पूर्व दी जा रही कम से कम 60 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की सहायता को पुनः चालू कराया जावे ।

## 4. सरकारिया आयोग की सिफारिशें

59. अन्तर्राज्यीय परिषद् की 22.1.1999 को आयोजित पांचवी बैठक में स्थायी समिति की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की गई कि सरकारिया आयोग की आथिर्क एवं सामाजिक योजना से संबंधित 33 सिफारिशों को पहले योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ रखा जावे । अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा इस पर भी सहमति व्यक्त की गई कि जिस तरह अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति है, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद की भी एक स्थायी समिति होनी चाहिए जो परिषद् के समक्ष रखे जाने वाले मामलों पर पहले विचार कर सके । योजना आयोग ने अभी तक सरकारिया आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है ।

## 5. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का हस्तान्तरण

60. जैसा कि इस बारे में पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं शत-प्रतिशत सहायता के साथ राज्यों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है । मैं यह समझता हूं कि इस बारे में ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं हैं ।

## 6. राज्य के संसाधनों में बढ़ोतरी

61. 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे । अधिक सार्वजनिक ऋण के लिए अनुमति देकर, योजना सहायता में ऋण घटक के अनुपात को कम कर तथा इस तरह के ऋण पर देय ब्याज की दर को कम कर केन्द्रीय बैंकों की दर से अधिक न जाने दिया जाये तथा सभी प्रकार की सहायता को राज्यों की समेकित निधि में हस्तान्तरित करके किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अल्प बचत के विरूद्ध ऋण का हिस्सा 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत किया जाये और इस ऋण को चिरस्थाई ऋण में परिवर्तित किया जाना चाहिए । जिन शर्तों पर बाह्य सहायता प्राप्त होती है उन्हीं शर्तों पर राज्यों को प्रदान की जानी चाहिए । अन्तर्राज्य परिषद् की तीसरी बैठक की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 33.33 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

## 7. आयोजना एवं गैर आयोजना खर्च के वर्गीकरण की समीक्षा

62. योजना राशि से सृजित परिस्पतियों के संधारण पर किये गये व्यय के साथ-साथ विकास के लिए मजबूत नियामकों पर व्यय राशि को " कुल योजनाओं" का हिस्सा माना जाये । गैर आयोजना मद में इस तरह के बनावटी तथा तदर्थ वर्गीकरण से विकास प्रक्रिया पर विपरीत असर पड़ता है ।

63. अन्त में, मैं माननीय सदन का राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन के घबड़ाने वाले निष्कर्षों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा देश के 569 जिलों के सामाजिक-आर्थिक एवं जीवन स्तर के सूचकों के अध्ययन के अनुसार राजस्थान के 72 प्रतिशत जिले 401 से 569 के मध्य और शेष 28 प्रतिशत जिले 301 से 400 के मध्य आते है । देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमारी निम्न स्थिति सामाजिक और आधारभूत संरचना के निश्चित संकेतक के रूप में गरीब राज्य के रूप में परिलक्षित हुई है । इसलिए केन्द्रीय योजना सहायता के उद्देश्य के लिए राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाना परमावश्यक है ।

64. माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस देश की योजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन और विषमताओं को दूर करने के साथ विकास दर को बढ़ाना है । यद्यपि राजस्थान जैसे पिछड़े, अलाभकारी राज्य के संबंध में हम पाते हैं कि विकसित राज्य और हमारे मध्य अन्तर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है । अतः योजना प्रक्रिया को कठोरता से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि इन मुद्दों पर पूर्ण रूप से प्रहार किया जा सके । इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं सर्वोच्च सम्मानीय संस्था से पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारी काफी समय से लम्बित और श्रेष्ठ न्यायोचित मांग के अन्तर्गत राज्य को विशिष्ट श्रेणी के राज्य में सम्मिलित किया जाए ।

|| जय हिन्द ||